व
जो
ख में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 140/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. नाथूलाल सैन पुत्र दिपचन्द्र जाति नाई निवासी बाज्यावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर सें।

निर्णय — दिनांक — 20.10.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 40 व 44 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का 1/9 हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादी के नाम उमांशकर पुत्र दीपचन्द जाति नाई के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल है। जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड पंचायत बाज्यावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र भामाशाह कार्ड मं वादी का नाम नाथूलाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम नाथू लाल की जगह उमाशंकर दर्ज हो गया है जो गलत है उमांशकर की जगह वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना उचित है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 व 44 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम उमाशंकर के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम उमाशंकर के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम नाथूलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि सम्वत 2069–2072 की जमाबन्दी अनुसार उमांशकर पुत्र दीपचन्द हिस्सा 1/9 जाति नाई सा0 बाज्यावास दर्ज है। जो वर्तमान में भी इसी नाम व हिस्से की खातेदारी दर्ज है प्रार्थी के नाम उक्त भूमि ना0सं0 6 के द्वारा विरासत से प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम उमांशकर पुत्र दीपचन्द ही दर्ज है मौके पर पुछताछ करने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उमांशकर पुत्र दीपचन्द को नाथूलाल पुत्र दीपचन्द के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामवासियों ने बताया कि उमाशंकर व नाथूलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी के राशन कार्ड भामाशाह कार्ड वोटर कार्ड आधार कार्ड पास पोर्ट में नाम नाथूलाल दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 40 व 44 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम उमांशकार पुत्र दीपचन्द के स्थान पर उमांशकर उर्फ नाथूलाल पुत्र दीपचन्द उद्घोषणा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक - 20-10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

नाथूलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 140 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक 20.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 40 व 44 किता 2 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम उमाशंकर पुत्र दीपचन्द को दुरूस्त कर उसके स्थान पर उमाशंकर उर्फ नाथूलाल पुत्र दीपचन्द संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-20.10.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़